

06/12  
19

पत्रावली पेशा हुई। प्रकरण में बार-बार  
आवाज लगाई गई किन्तु निगरानीकर्ता  
अहालतन या वकालतन उपस्थित नहीं  
आये। अतः प्रकरण अदम हजरती व  
अदम पैरवी के खारिज किया जाता  
है। पत्रावली फेंपलशुमार होकर नंबर  
को कम हो एवं बाद तकमील जमा  
जिला अम्बिलेखागार हो।

म  
अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
गंगपुर सिटी (स०भा०)

